

17.06.2025 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने फर्द दस्तावेजात किता-10 पेश किए जो शामिल पत्रावली किए गए। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी जाने का निवेदन किया, वकील अप्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस वकूलाय उभय पक्षकारान सुनी वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 03.07.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमधोपुर (सीकर)

03.07.2025 पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमधोपुर (सीकर)

